

नगर परिषद, तिजारा

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/TIJARA/FIRENOC/2025-26/51848
जारी दिनांक: 15-MAY-2025 वैधता दिनांक: 14-MAY-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: VARUN YADAV
आवेदक का पता: C-1 HASAN KHAN MEWAT NAGAR ALWAR

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन STEP BY STEP PUBLIC SCHOOL, 587/426, NAURANGABAD, SHABAD, TIJARA, KHAIRTHAL-TIJARA, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा
2. फायर एनओसी की अवधि समाप्त होने से 15 दिवस पूर्व नवीनीकरण के लिये आवेदन करना होगा अथवा 5000 रुपये पैनल्टी के तौर पर देय होंगे।
3. अग्निशमन प्रमाण पत्र को किसी भी प्रकार का स्वामित्व दस्तावेज नहीं माना जावे एवं प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा।
4. किसी भी प्रकार की आतिबाजी उक्त स्थल के अन्दर न की जायें।
5. समय- समय पर नेशनल बिल्डिंग कोड में होने वाले संशोधनों की भी पालना करनी होगी।
6. उक्त स्थल पर निर्माण कार्य के समय सुरक्षा मापदंडों की पूर्ण पालना करनी होगी।
7. नेशनल बिल्डिंग कोड भाग-4 में होने वाले संशोधनों की पालना करना अनिवार्य होगा।
8. उक्त एनओसी किसी भी भूमि संबंधित विवाद हेतु मान्य नहीं होगी।
9. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
10. समय- समय पर अग्निशमन यंत्र का रख-रखाव किया जायेगा।
11. किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री भवन या परिसर में नहीं रखी जावेगी।
12. किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए स्वयं संस्थापक जिम्मेदार होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए नगर परिषद तिजारा प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।
13. प्रत्येक 6 माह में फायर एक्सपर्ट मॉक ड्रिल करवाना अनिवार्य है जिसकी सूचना नगर परिषद तिजारा को उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य है।
14. अग्निशमन यंत्रों के रख-रखाव में कमी एवं औचक निरीक्षण के दौरान अगर किसी भी प्रकार की कमी पाई गई तो अग्निशमन प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।
15. नक्शों में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो आपके नक्शों को पुनः अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य होगा।
16. राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
17. भवन का मुख्य/अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।

For Shri Ram Shiksha Samit

Secretary



Principal
Step By Step Public School
Tijara

Signed by: Manisha Yadav
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: TIJARA, Rajasthan
Date: 15/05/2025 18:17:37

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, तिजारा